

“जल जीवन मिशन” हर घर जल कार्यक्रम के अन्तर्गत विरचित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन पर विचार विमर्श हेतु दिनांक 16.10.2021 को सम्पन्न जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ की बैठक का कार्यवृत्त :-

जल जीवन मिशन ‘हर घर जल’ कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों की पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किये जाने हेतु विरचित विस्तृत प्राक्कलन की स्वीकृति/संस्तुति पर निर्णय लेने हेतु पत्रांक 815/डब्लू-30/320 दिनांक 13.10.2021 द्वारा दिनांक 16.10.2021 को अपराह्न 05:00 बजे जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ की अध्यक्षता में आहूत बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है:-

1. श्री अश्विनी कुमार पाण्डेय, मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
2. श्री एस रहमान, अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
3. श्री दीपक कुमार, जिला समन्वयक (नि०), कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
4. श्री रतन कुमार, सहायक जिला पंचायती राज अधिकारी, लखनऊ।
5. श्री विनोद कुमार, सहायक अभियन्ता, द्वितीय निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
6. श्री शलभ श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, लखनऊ।
7. श्री रविन्द्र नाथ गुप्ता, एस०डी०ओ०, मोहनलालगंज, वन विभाग, लखनऊ।
8. श्री वी०पी० खरे, डिप्टी टीम लीडर, मे० सेन्सिस टेक लि०।
9. श्री अनिल कुमार साह, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० सेन्सिस टेक लि०।
10. श्री संतोष पाण्डेय, कोषाध्यक्ष, नवदुर्गा सेवा संस्थान, लखनऊ।
11. श्री राजेश उपाध्याय, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट स्टडीज एण्ड एक्शन सत्या, जयपुर।
12. श्री अमरेन्द्र कुमार, टीम लीडर, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट स्टडीज एण्ड एक्शन सत्या, जयपुर।
13. श्री हरि ओम पाल, एस०पी० ग्राम्य विकास एवं ग्रामोद्योग, लखनऊ।
14. श्री आनन्द प्रकाश सिंह, हिन्दू मुस्लिम एकता एवं कल्याण समिति, लखनऊ।
15. श्री राहुल द्विवेदी, पी०एस० सेवा समिति, लखनऊ।

अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के अनुरूप समुचित मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘जल जीवन मिशन’ हर घर जल कार्यक्रम संचालित है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण हेतु नियमित रूप से गुणवत्ता युक्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना है। तदक्रम में नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के पत्रांक 95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/ 2010 टीसी-अ, दिनांक 21.01.2020 द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का गठन करते हुये पेयजल योजना के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

उक्त के क्रम में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किये जाने हेतु पेयजल योजना के निर्माण हेतु अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के पत्रांक 2143/डब्लू-22/एन०आई०टी०/2020-21 दिनांक 13.01.2021 द्वारा मेसर्स एन०सी०सी० लि०, हैदराबाद को कार्यदायी फर्म के रूप में सूचीबद्ध किये जाने के क्रम में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 575/ल०स०/जल जीवन मिशन/ग्रा०वार सूची/2020-21 दिनांक 30.01.2021 द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों की सूची उपलब्ध कराते हुए पेयजल योजना के निर्माण हेतु विस्तृत प्राक्कलन (डी०पी०आर०) प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। वर्तमान तक पेयजल के निर्माण हेतु 430 ग्राम पंचायतों में निःशुल्क भूमि कार्यदायी फर्म मे० एन०सी०सी० लि०, हैदराबाद को उपलब्ध करा दी गयी है। तदक्रम में कार्यदायी फर्म मेसर्स एन०सी०सी० लि० हैदराबाद द्वारा सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करते हुए जनपद लखनऊ में चयनित 468

ग्राम पंचायतों/672 राजस्व ग्राम के सापेक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में संस्तुति के उपरान्त पत्रांक 395/डब्लू-30/82 दिनांक 05.06.2021, 486/डब्लू-30/120 दिनांक 03.07.2021 एवं 767/डब्लू-30/279 दिनांक 21.09.2021 द्वारा क्रमशः 27, 52 व 59 अर्थात् कुल 138 विस्तृत प्राक्कलन (डी0पी0आर0) को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष 78 विस्तृत प्राक्कलन (डी0पी0आर0) की स्वीकृति प्राप्त हो गयी। स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन के सापेक्ष दिनांक 12.08.2021 को सम्पन्न जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित की जा चुकी है। कार्यदायी फर्म मे0 एन0सी0सी0 लि0, हैदराबाद द्वारा 6 योजना पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है। कार्यदायी फर्म मे0 एन0सी0सी0लि0, हैदराबाद द्वारा प्रेषित 42 नग विस्तृत प्राक्कलन पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया जिसमें 12 विस्तृत प्राक्कलनों में प्रतिव्यक्ति लागत अनुमन्य सीमा रु0 6000.00 से अधिक होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया एवं विस्तृत प्राक्कलनों को संसोधित करने का निर्णय लिया गया इस हेतु कार्यदायी फर्म मे0 एन0सी0सी0लि0, हैदराबाद को बहुल ग्राम पेयजल योजना के रूप में विस्तृत प्राक्कलन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। निम्न विवरण के अनुसार परीक्षणोपरान्त ठीक पाये गये 30 नग विस्तृत प्राक्कलन, जिससे 30 ग्राम पंचायत/53 राजस्व ग्राम/136 मजरे पाइप पेयजल योजना से आच्छादित होंगे, विचार विमर्श किया गया:-

क्र0सं0	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों की संख्या	सम्मिलित मजरों की संख्या	अनुमानित लागत (लाख में)
1		2	3	4	5
1	मोहनलालगंज	रघुनाथखेडा	2	7	306.64
2	मोहनलालगंज	भगवानपुर	2	2	235.34
3	मोहनलालगंज	शाह मोहम्मदपुर अपैया	2	6	297.92
4	मोहनलालगंज	गोविन्दपुर	2	5	365.56
5	मोहनलालगंज	जबरौली	1	2	376.85
6	मोहनलालगंज	दयालपुर	2	14	629.96
7	मोहनलालगंज	भददीखेडा	3	12	622.51
8	गोसाईगंज	मोहम्मदाबाद	4	6	333.69
9	गोसाईगंज	पंजसरा	2	2	257.99
10	गोसाईगंज	कपेरामदारपुर	2	4	345.70
11	गोसाईगंज	पहाडनगर टिकरिया	1	4	307.18
12	गोसाईगंज	मोहम्मदपुर गढ़ी	1	3	265.47
13	गोसाईगंज	सिकन्दरपुर अमोलिया	2	5	337.25
14	चिनहट	अनौराकला	1	4	291.80
15	बख्शी का तालाब	सुवंशीपुर	2	5	244.42
16	बख्शी का तालाब	मवईकला	2	2	233.16
17	बख्शी का तालाब	कपासी	1	3	259.67
18	बख्शी का तालाब	भडसर	2	2	254.42
19	बख्शी का तालाब	नरोसा	1	7	329.81
20	बख्शी का तालाब	रजौली	1	2	460.35
21	बख्शी का तालाब	गुलालपुर	2	7	354.98

22	बख्शी का तालाब	भरगहना	3	5	295.09
23	बख्शी का तालाब	दरियापुर	2	3	223.08
24	बख्शी का तालाब	टिकरी	2	5	256.96
25	बख्शी का तालाब	अधरामऊ	1	3	401.27
26	बख्शी का तालाब	पलका	2	2	289.31
27	बख्शी का तालाब	बनौगा	1	4	360.73
28	बख्शी का तालाब	अतरौरा	1	4	256.36
29	सरोजनीनगर	जैतीखेडा	2	4	430.59
30	सरोजनीनगर	बनी	1	2	241.71
	योग		53	136	9865.77

शासनादेश संख्या 16/2021/948/छिहत्तर-1-201-22 सम/2019 दिनांक 19.03.2021 एवं 36/2021/1599/छिहत्तर-1-2021-25 सम/2019 दिनांक 08.07.2021 में निर्गत निर्देशानुसार 05 करोड़ की लागत तक के विस्तृत प्राक्कलन की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा की जायेगी एवं 05 करोड़ से अधिक लागत के विस्तृत प्राक्कलन जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर से संस्तुति सहित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित की जायेगी।

सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा उक्त विवरण के अनुसार 30 विस्तृत प्राक्कलन, जिसमें 30 नग ग्राम पंचायत/53 राजस्व ग्राम/156 मजरे पाइप पेयजल से आच्छादित होंगे, को स्वीकृति हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

समन्वयवाद बैठक सम्पन्न हुई।

(एस रहमान)
अधिशाली अभियन्ता

पृ0सं0-876/ W-30 / 376

दिनांक 28 / 10 / 2021

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।
5. जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
7. अधिशाली अभियन्ता, त्रयोदश खण्ड, (वि०/यौ०) जल निगम लखनऊ।
8. अधिशाली अभियन्ता सिंचाई खण्ड लखनऊ
9. अधिशाली अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग लखनऊ।
10. प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।
11. जिला पंचायती राज अधिकारी, लखनऊ।
12. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
13. जिला कृषि अधिकारी लखनऊ।
14. जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी लखनऊ।
15. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, लखनऊ।
16. मेसर्स एन०सी०सी०लि० हैदराबाद।

(एस रहमान)
अधिशाली अभियन्ता